# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं. / वाद पत्र / एल.आर. / 11 / 2019

1. श्री रामकिशन पुत्र श्री राम जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुखदेव पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री रूघनाथ जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री श्योजीराम जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्री लादूराम पुत्र श्री कल्याण जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. अनिल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

## निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट श्री धर्मवीर बामनिया

निर्णय दिनांक 28.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुरथल के खसरा नं. 1638 रकबा 0.62 हैं. किस्म बारानी–1 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 6 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कुरथल के खसरा नं. 1638 रकबा 0.62 हैं. प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक– नान्दसी को 1,500 / –रूपये (अक्षरे– एक हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 16:07:12 IST
Reason: SelfAttested